न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः—181/2018/अपील

कमला देवी पत्नी सुवालाल जाति जाट निवासी चक खटुन्दरा सामोता की ढ़ाणी तहसील खण्डेला जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

1. भींवाराम पुत्र सुवालाल जाति जाट निवासी चक खटुन्दरा सामोता की ढ़ाणी तहसील खण्डेला जिला सीकर
2. सन्तरा देवी पुत्री सुवालाल पत्नी गोकुलराम
3. मनोहरी देवी पुत्री सुवालाल पत्नी मुकेश कुमार
   समस्त जाति जाट निवासी चक खटुन्दरा सामोता की ढ़ाणी तहसील खण्डेला जिला सीकर हाल निवासी छारा तहसील खण्डेला जिला सीकर
4. तहसीलदार, तहसील कार्यालय खण्डेला जिला सीकर

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व नामांतकरण सं. 371 दिनांक 25.05.2018
निर्णय न्यायालय तहसीलदार खण्डेला सीकर

वकील अपीलांट श्री विनोद कुमार सरोज

निर्णय **दिनांकः—08.01.2019**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संक्षेप में अपील में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम चक खटुन्दरा पटवार हल्का खटुन्दरा के भूमि खसरा नं. 117 से 130 कुल किता 14 कुल रकबा 13.50 है0, खसरा नं. 17 रकबा 2.27 है0, खसरा नं. 135, 138, 151, 153 कुल किता 4 कुल रकबा 2.86 है0, खसरा नं. 156, 164, 164/212 कुल किता 3 कुल रकबा 5.24 है0, अवस्थित है। उक्त कृषि भूमि अपीलान्ट के पति व रेस्पो0 सं. 1 ता 3 के पिता की मृत्यु के पश्चात विरासत मे प्राप्त हुई है। उक्त कृषि भूमि खसरा नं. 117 से 130 कुल किता 14 कुल रकबा 13.50 है0 मे अपीलान्ट व रेस्पो0 सं. 2 ता 3 ने अपने हिस्से मे आयी सम्पूर्ण भूमि को रेस्पो0 सं. 1 के हकत्याग, खसरा नं. 17 रकबा 2.27 है0, खसरा नं. 112 रकबा 1.62 है0, खसरा नं. 135, 138, 151, 153 कुल किता 4 कुल रकबा 2.86 है0, खसरा नं. 156, 164,164/212 कुल किता 3 कुल रकबा 5.24 है0, में रेस्पो0 सं. 2 व 3 ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा रेस्पो0 सं. 1 के पक्ष मे हकत्याग कर दिनांक 22.05.18 को उप पंजीयक खण्डेला के यहॉ रजिस्टर्ड हकत्याग विलेख करवाया गया। उक्त हकत्याग विलेख के आधार पर रेस्पो0 सं. 5 द्वारा सम्पूर्ण कृषि भूमि का नामान्तरण रेस्पो0 सं. 1 के पक्ष मे दिनांक 25.05.2018 को स्वीकृत कर खातेदारी रेस्पो0 सं. 1 के नाम की दी गई। उक्त नामान्तरण मे अपीलान्ट द्वारा कृषि भूमि 112 रकबा 1.62 है0, खसरा नं. 135, 138, 151, 153 कुल किता 4 कुल रकबा 2.86 है0, व खसरा नं. 156, 164, 164/212 कुल किता 3 कुल रकबा 5.24 है0, मे अपीलान्ट द्वारा कोई हकत्याग नही किये जाने के बावजुद खातेदारी अपीलान्ट के नाम से हटाकर गलत रूप से रेस्पो0 सं. 1 के नाम कर दी गई। उक्त भूमि पूर्व मे अपीलान्ट के

द्वारा कृषि भूमि खसरा नं. 117 से 130 कुल किता 14 कुल रकबा 13.50 है0, खसरा नं. 17 रकबा 2.27 है0, मे अपने हिस्से मे आयी सम्पूर्ण भूमि का हकत्याग कर दिया गया। अपीलान्ट द्वारा उक्त हकत्याग विलेख दिनांक 22.5.18 मे कृषि भूमि 112 रकबा 1.62 है0, खसरा नं. 135, 138, 151, 153 कुल किता 4 कुल रकबा 2.86 है0, खसरा नं. 156, 164,164/212 कुल किता 3 कुल रकबा 5.24 है0 मे अपने हिस्से की खातेदारी भूमि का हकत्याग नही किये जाने के बावजूद तहसीलदार महादेय द्वारा अपीलान्ट की सम्पूर्ण भूमि का नामान्तरण गलत रूप से तस्दीक कर खातेदारी विधिविरूद्ध तरीके से रेस्पो0 सं. 1 के पक्ष मे कर दी गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा हकत्याग विलेख दिनांक 22.05.18 का अवलोकन किये बिना ही सम्पूर्ण भूमि की खातेदारी रेस्पो0 सं. 1 के पक्ष मे उक्त गलत नामान्तरण के आधार पर कर दी गई। हकत्याग विलेख मे अपीलान्ट द्वारा कृषि भूमि 112 रकबा 1.62 है0, खसरा नं. 135, 138, 151, 153 कुल किता 4 कुल रकबा 2.86 है0, खसरा नं. 156, 164,164/212 कुल किता 3 कुल रकबा 5.24 है0, मे अपने हिस्से का हकत्याग किये जाने का कोई उल्लेख नही किया गया है। उक्त खसरा नम्बरान मे रेस्पो0 सं. 2 व 3 द्वारा अपने सम्पूर्ण हिस्से का हकत्याग किया गया है। उक्त हकत्याग विलेख का अवलोकन किये बिना ही उक्त नामान्तरण तस्दीक किया गया है। इस कारण उक्त नामान्तरण निरस्तनीय है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरण सं. 371 आदेश दिनांक 25.05.18, तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर को निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। रेस्पो. संख्या 1 लगायत 3 स्वयं उपस्थित आये। रेस्पो. संख्या 1 लगायत 3 ने उपस्थित आकर उक्त अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया। अधिनस्थ न्यायालय से प्राप्त रिकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध हक त्याग विलेख का अवलोकन किया गया। अपीलांट व रेस्पो. संख्या 1 लगायत 3 के मध्य हुये हक त्याग विलेख में राजस्व ग्राम चक खटुन्दरा की भूमि खसरा नम्बर 117 से 130 कुल किता 14 कुल रकबा 13.50 है0 में हिस्सा जमाबंदीनुसार में हकत्याग कर्ता नं. 1 ता 3 (अपीलांट व रेस्पो. संख्या 2, 3) का हिस्सा सम्पूर्ण तथा उपरोक्त वर्णित शेष आराजियात में हकत्याग कर्ता नं. 2 ता 3 (रेस्पो. संख्या 2, 3) का सम्पूर्ण हिस्सा रेस्पो. संख्या 1 के पक्ष में हकत्याग किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन नामान्तकरण के अवलोकन करने पर उक्त नामान्तकरण हकत्याग विलेख के आधार पर नहीं भरा जाकर सम्पूर्ण हिस्से का रेस्पो. संख्या 1 के पक्ष में स्वीकार किया गया है, जो दुरूस्ती के योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। नामान्तकरण संख्या 371 दिनांक 25.05.2018 अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार खण्डेला को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि समस्त खातेदारान की उपस्थित में खातेदारान द्वारा किये गये हकत्याग विलेख की जांच की जाकर पुनः नये सिरे से नामान्तकरण तस्दीक करें।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय प्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर